

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 4865

दिनांक - 19/12/2022

प्रार्थीगण  
1 दाखुदेवी पत्नी नरसिंग वगैराह जाति  
जटिया निवासी जटियों का वास, शिव  
नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण  
1 लिखमाराम पुत्र थानाराम वगैराह जाति  
जटिया निवासी जटियों का नया वास बाड़मेर  
तहसील व जिला बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 81/2022

दिनांक-

## आदेश

13/12/22

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 102 रकबा 96.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 19/12/2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 4066 - 4869

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दाखुदेवी पत्नी नरसिंग वगैराह जाति जटिया निवासी जटियों का वास, शिव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लिखमाराम पुत्र थानाराम वगैराह जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

